



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

42AA 163282

“प्रारूप 26

(नियम 4 क देखिए)



.....मध्य प्रदेश विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

....राज्य सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं मेघराज ** पुत्र.....श्री चम्पालाल ... आयु 71 वर्ष, जो मध्यप्रदेश (डाक का पूरा पता लिखे) का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ।

मेघराज



(1) मैं ... **भारतीय जनता पार्टी**(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम **207 इंदौर - 4, मध्यप्रदेश** (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 34 के क्रम सं. 298 पर प्रतिष्ठ है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. **0755-2558072** है। और मेरा ई-मेल आई डी (यदि कोई हो तो)**नहीं है।**

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में अपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	AFRPJ 5834 R	2014-15	5,15,920
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित - 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित - 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित - 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके जिनके लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

अधिसूचना

A
G. No
IVAS
5/1/20
OPAL
OF T

(3)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे दें	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 कर 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है :

और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ- जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हेए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 (क) के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

अधिराज

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30,000/- (रु. तीस हजार मात्र)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	<p>1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पार्लियामेंट शाखा नई दिल्ली बचत खाता क्रमांक 31745910450 जमा रूपए 2,04,283.00 एफ.डी. नं. 32203176705 5,00,000.00</p> <p>2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सियागंज शाखा, इन्दौर में जमा रूपये 1,44,172.00 एफ.डी. क्र. 63015033306</p> <p>3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लिंक रोड नं. 1, शाखा भोपाल, बचत खाता क्र. 32748073506 जमा रूपये 1,46,331.00</p> <p>4. स्टेट बैंक आफ इण्डिया क्लाथ मार्केट शाखा इन्दौर बचत खाता क्र. 63036794811 जमा रूपये 3,20,569.00</p> <p>5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया नरसिंह बाजार इन्दौर बचत खाता क्र. 54360210003198 जमा रूपये 2,8445.00 एफ.डी. नं. 302225 2,40,000.00</p> <p>6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मालवीय नगर भोपाल बचत खाता क्र. 1251245620 जमा रु. 23,908.00</p>				
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधक पत्रों, डिबंचरों/शेयरों तथा यूनियनों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लगभग रूपये 2500/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निनिधान और रकम	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय	63,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मधुसूदन

	जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मुल्यावन वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्योरे)	10 तोला कीमत लगभग 2,80,000 / -	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तिया जैसे कि दावों / हित का मूल्य	लगभग रु. 2,00,000 / -	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	84,20,208 / -	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख- स्थावर आस्तियों के ब्योरे

टिप्पण - 1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण - 2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवयवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दश में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मेधाजी

